



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ अपर पुलिस अधीक्षक बांदा की अध्यक्षता में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित सेंट मैरीज सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। यातायात सड़क सुरक्षा माह के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों के साथ-साथ साइबर अपराधों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देकर किया गया जागरूक।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में यातायात सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज दिनांक 17.11.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज की अध्यक्षता व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात सुश्री मेविस टॉक के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत संत मैरीज सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में एक व्यापक यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित छात्र/छात्राओं व शिक्षकों को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव आदि के साथ-साथ सम्बन्धित विभिन्न कानूनों एवं सहायता नम्बरों आदि बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें छात्र/छात्राओं को बताया गया कि यातायात नियमों का पालन न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि यह मानव जीवन सुरक्षा से जुड़ा एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है इसलिए वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का न करने तथा नशे की हालत में ड्राइविंग न करने, सड़क पर निर्धारित स्पीड का पालन करने, वाहन के वैध और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट एवं चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने की जानकारी देकर सभी यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया साथ ही अन्य लोगों को जागरूक करने हेतु प्रेरित भी किया गया तथा इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त दो पहिया वाहन चलाते समय दो से अधिक लोगों बैठने/बैठाने, गलत दिशा में वाहन चलाने के खतरों आदि के बारे में जानकारी दी गई। साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करते हुए वर्तमान में आधुनिक तरीकों से होने वाले साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें- केवाईसी अपडेट के नाम पर फर्जी कॉल्स या लिंक भेजकर उपयोगकर्ताओं से उनके निजी और बैंकिंग डिटेल्स मांगना। ओटीपी फ्रॉड जिसमें कॉल या मैसेज के ज़रिए उपयोगकर्ताओं से ओटीपी लेकर उनके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करना। यूपीआई स्कैम (UPI Scam), सोशल मीडिया हैकिंग, फर्जी कॉल्स, आदि प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया साथ ही साइबर अपराध/ठगी का शिकार होने पर तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल कर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई।